धारित करता हूँ कि परिवादी पक्ष इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये धारा 420 एवं 504 भा०द० सं० के आरोप को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है अतएवं यह -----------------

आदेश

21 दिया जाता है कि इस वाद में विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त अभियुक्त साकिब रजा उर्फ़ पन्नू को भा० द० सं० की धारा 420 एवं 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूऔं को बंधपत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से अभियुक्त गण या साक्षियों के विरुद्ध यदि कोई अधि-पत्र निर्गत हो तो संबंधित थाने को सूचित करते हुए मांग कर ली जाए।

दिनाँक – 28.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०,
पटना।

निर्णय आज दिनाँक 28.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित, मुद्रांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनाँक – 28.08.2025

Md Gulam Rasul
मो० गुलाम रसूल
न्या० दण्डा० प्र० श्रे०, पटना।

"Suspicion, however grave, cannot take the place of proof. The prosecution must prove its case beyond reasonable doubt."

Kali Ram v. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808 –

"If two views are possible on the evidence, the one favourable to the accused must be adopted."

16 अभियोजन के साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी एवं अधूरे हैं। ऐसे में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित है।

निष्कर्ष (Findings)

17 अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि अभियुक्त ने धारा 420 IPC के अंतर्गत अपराध किया।

18 अभियोजन यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि अभियुक्त ने धारा 504 IPC के अंतर्गत अपराध किया।

19 प्रस्तुत विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे आपराधिक मुकदमे के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

तात्पर्य हैं कि परिवादी के कथनों को आधार मानकर किसी स्वतंत्र साक्षी के अभाव में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती जब तक कोई युक्तियुक्त, बलवती और संपुष्ट साक्ष्य न्यायालय के समक्ष न लाया गया हो। अंततः परिवादी पक्ष की तरफ से प्रस्तुत परिवादी के साक्ष्य से सम्पूर्ण घटना की सत्यता, मौलिकता एवं सम्भाव्यता संदेहास्पद प्रतीत होती है तथा अभियुक्तों के विरुद्ध यह मामला लगभग बिना किसी सम्पुष्ट साक्ष्य के है।

20 उपरोक्त विवेचन, साक्षियों के साक्ष्य, उभय पक्षों के तर्कों, अभिलेख के अवलोकन तथा वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मैं यह पाता हूँ एवं तदानुसार

लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे न तो Agreement पर गवाह थे और न ही लेन-देन के समय मौजूद थे।

दस्तावेजी साक्ष्य

अभियोजन ने एक Agreement दिनांक 20.12.2004 प्रस्तुत किया। किन्तु उक्त Agreement को साबित करने हेतु न तो लेखपाल/लेखक और न ही हस्ताक्षर करने वाले गवाह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फलतः Agreement का विधिक प्रमाणन अधूरा रह गया।

"A matter which essentially involves civil liability cannot be given the colour of a criminal offence unless dishonest intention is shown from the beginning."

M. Narsinga Rao v. State of A.P., (2001) 1 SCC 691 – "Mere failure to honour a promise subsequently cannot be presumed as a proof of initial dishonest intention."

प्रस्तुत मामले में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा कि अभियुक्त ने आरंभ से ही धोखे का इरादा रखकर धनराशि ली थी।

धारा 504 IPC पर विचार

धारा 504 IPC के लिए यह आवश्यक है कि (i) अभियुक्त ने जानबूझकर अपमान किया, (ii) ऐसा अपमान इस प्रकार हो जिससे शांति भंग हो सकती हो।

14 **<u>माननीय सुप्रीम कोर्ट दृष्टांत:</u>** Manik Taneja v. State of Karnataka, (2015) 7 SCC 423 – "Mere use of abusive words without intention to provoke breach of peace does not constitute offence under Section 504 IPC."

15 . इस मामले में परिवादी ने गाली-गलौज का आरोप तो लगाया परंतु न तो गालियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया और न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किया गया।

<u>संदेह का लाभ (Benefit of Doubt)</u>

Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 –

और अपमानित किया ,अभियुक्त का कथन अभियुक्त ने समस्त आरोपों का खंडन किया है। अभियुक्त का कथन है कि कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई और परिवादी ने निजी रंजिश एवं वैमनस्यवश यह परिवाद दायर किया है। अभियुक्त ने धारा 313 CrPC के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला केवल झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। अभियुक्त ने कोई प्रत्यक्ष बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया परंतु अभियोजन गवाहों की जिरह के माध्यम से उनके कथनों में विरोधाभास एवं कमजोरी दिखाने का प्रयास किया।

12. **आरोप (Charge)** इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के अध्ययन के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 504 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का विकल्प चुना।

अभियोजन साक्ष्य (Prosecution Evidence)

13. PW-1 (परिवादी मो० महफूज आलम)- ने अपने मुख्य कथन में परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। उन्होंने यह कहा कि उन्होंने अभियुक्त को ₹1,70,000/- की राशि व्यवसाय साझेदारी हेतु दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक लिखित Agreement दिनांक 20.12.2004 को तैयार हुआ जिसमें यह वचन था कि राशि 31.12.2005 तक लौटा दी जाएगी। PW-1 ने कहा कि अभियुक्त ने राशि लौटाई नहीं और उल्टे दिनांक 18.03.2007 को उन्हें गाली दी। जिरह में PW-1 की स्वीकृति:- उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त धनराशि दिए जाने का कोई बैंक एंट्री, चेक अथवा स्वतंत्र रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि कथित एकरारनामा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले गवाह को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 18.03.2007 की घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं है।

PW-2 ने कहा कि उन्हें पता है कि परिवादी ने अभियुक्त को धनराशि दी थी। परंतु जिरह में PW-2 ने स्वीकार किया कि वे लेन-देन के समय उपस्थित नहीं थे।

PW-3 ने सामान्य समर्थन दिया कि परिवादी और अभियुक्त के बीच विवाद हुआ था।

In
The Court of Md Gulam Rasul J

हैं एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियुक्त साकिब रजा के द्वारा तैयार किया गया एकरारनामा को प्रदर्श 1 एवं परिवाद पत्र पर परिवादी का हस्ताक्षर को प्रदर्श-2 अंकित कराया गया।

इसके अतिरिक्त परिवादी पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

10 अब मैं वाद अभिलेख पर उपलब्ध सभी मौखिक साक्ष्यों की गहन विवेचना इस वाद में अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के आलोक में करूंगा।

11 प्रस्तुत वाद एक निजी परिवाद संख्या 751(C)/2007 है जिसमें परिवादी मो० महफूज आलम @ मुन्ना ने अभियुक्त साकिब रजा उर्फ पन्नू के विरुद्ध धारा 420 एवं 504 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोग लगाया है। आरोप है कि अभियुक्त ने व्यवसाय साझेदारी (Business Partnership) के नाम पर परिवादी से ₹1,70,000/- प्राप्त किये और बाद में न केवल धनराशि लौटाने से इनकार किया बल्कि दिनांक 18.03.2007 को परिवादी को गाली-गलौज एवं अपमानित किया। वाद की सुनवाई के क्रम में अभियोजन पक्ष ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। बचाव पक्ष ने आरोपों का खंडन करते हुए अभियुक्त की निर्दोषता का दावा किया। अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन परिवादी का कथन है कि अभियुक्त ने वर्ष 2004 में साझेदारी व्यवसाय करने का प्रस्ताव दिया। अभियुक्त के प्रलोभन में आकर परिवादी ने कुल ₹1,70,000/- की राशि अभियुक्त को दी। इस लेन-देन के समर्थन में दिनांक 20.12.2004 को एक Agreement निष्पादित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने यह वचन दिया कि उक्त धनराशि दिनांक 31.12.2005 तक वापस कर देगा। आरोप है कि अभियुक्त ने उक्त राशि वापस नहीं की और जब परिवादी ने बार-बार राशि लौटाने की माँग की तो अभियुक्त ने उसे टालमटोल किया। अंततः दिनांक 18.03.2007 को जब परिवादी ने फिर से धनराशि माँगी तो अभियुक्त ने परिवादी को गाली-गलौज की

ब . प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी ,यदि हो तो :-

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

स. न्यायालय साक्षी ,यदि कोई हो :- लागू नहीं।

परिवादी पक्ष /प्रतिरक्षा पक्ष /न्यायालय प्रदर्श :-

अ . परिवादी पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	1	अभियुक्त साकिब रजा के द्वारा तैयार किया गया एकरारनामा
2.	2	परिवाद पत्र पर परिवादी का हस्ताक्षर

ब . प्रतिरक्षा पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं।	लागू नहीं।

स. न्यायालय प्रदर्श :- लागू नहीं।

मंतव्य

9 विचारण के क्रम में, परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में केवल तीन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया है, जो परिवादी साक्षी सं० 1 राजेश कुमार परिवादी साक्षी सं० 2 रिजवानुल हक एवं परिवादी साक्षी सं० 03 मो० महफूज आलम

In
The Court of ...Md Gulam Rasul J.

Md GULAM RASUL
J.M.F.C-XIV, PATNA
6099(c)

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 246 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.05.2012 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 504 के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने दोषी होने से इंकार किया और विचारण की माँग की।
5. परिवादी पक्ष ने अपने मामले को सिद्ध करने के लिए मात्र तीन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
6. दिनांक 06.07.2018 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा की गई, जिसमे उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया है।
7. प्रतिरक्षा पक्ष के द्वारा कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।
8. अब इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या परिवादी पक्ष अभियुक्त गण के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है या नहीं

प्रारूप – ग

अभियोजन/ प्रतिरक्षा पक्ष /न्यायालय के साक्षियों की सूची

अ – परिवादी साक्ष्य

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
परिवादी साक्षी संख्या -1	राजेश कुमार	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
परिवादी साक्षी सं०2	रिजवानुल हक	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
परिवादी साक्षी सं० 3	मो० महफूज आलम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (परिवादी)

हेतु प्रेरित किया और बोला कि तुम कही से दो लाख रुपया लाकर दो जिसमे से सिर्फ 10 हजार रुपया मासिक मुनाफा होगा। दिनांक 08.08.2004 में परिवादी के जान पहचना एवं महाजन से कर्ज लेकर किसी तरह एक लाख 70 हजार रुपया इन्तेजाम किया और अभियुक्त को साझा व्यापार करने हुए दिया। परिवादी ने अभियुक्त को साझा व्यापार का साझेदारी विलेख बनाने को कहा लेकिन टाल-मटोल करते रहे। काफी दिन गुजर जाने के बाद जब साझेदारी विलेख नही बना तो दिनांक 20.12.2004 को गवाहों को लेकर जब परिवादी अभियुक्त से मिलने और पैसा वापस करने को कहे और दवाब बनाए तब अभियुक्त ने उस दिन कहा कि आप का पैसा लेकर एक आदमी भाग गया हैं और अभियुक्त ने एक एकरारनामा तैयार किया कि दिनांक 31.12.2005 तक सभी राशि परिवादी को वापस कर देंगे लेकिन अभियुक्त ने आज तक पैसा वापस नही किया। दिनांक 18.02.2007 को परिवादी रुपया मांगे अभियुक्त के पास गये तो अभियुक्त ने कहा कि एक माह में पैसा वापस कर देंगे जब परिवादी पुन: दिनांक 18.03.2007 को अभियुक्त के पास गया तो परिवादी को अपने घर में बैठा कर एक नन जुडिशल स्टाम्प पर लिख दो कि सारा पैसा पा लिए हैं इतने में परिवादी बोला कि पैसा तो दीजिये कि अभियुक्त अपने कमर में से पिस्तौल निकाल कर जबरजस्ती हस्ताक्षर करवाने लगा जिस पर परिवादी ने चिल्लाया और साथ ले गये गवाह के द्वारा किसी तरह से परिवादी का जान बचाया गया।

3. उक्त घटना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ,पटना के समक्ष परिवाद पत्र सं० 751/2007 दाखिल किया गया जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेकर वाद निष्पादन हेतु माननीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भेजा गया। दिनांक 25.04.2007 को भा० द० वि० की धारा 420 एवं 504 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाया गया।

न्यायालय मो० गुलाम रसूल न्या०दंडा० प्र०श्रे०,पटना
परिवाद पत्र सं० 751/2007

परिवाद पत्र दाखिल की तिथि	19.03.2007
संज्ञान की तिथि	25.04.2007
आरोप का गठन की तिथि	24.05.2012
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	25.06.2012
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	28.08.2025
निर्णय तिथि	28.08.2025
दण्ड सुनाने की तिथि , यदि हो	लागू नहीं

अभियुक्त गण क्रमांक	अभियुक्त गण का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा 428 द०प्र०सं० के प्रयोजनार्थ विचारण के क्रम में दिया गया दण्ड
1.	साकिब रजा उर्फ़ पन्नू	30.03.2010 न्यायालय में आत्मसमर्पण	30.03.2010	420 एवं 504 भा०द० वि०	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

प्रारूप – क

न्यायालय, मो० गुलाम रसूल न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पटना/बिहार उपस्थित – मो० गुलाम रसूल निर्णय की तिथि :- 28.08.2025 परिवाद पत्र संख्या – 751/2007

परिवादी	मो० महफूज आलम उर्फ़ मुन्ना,पे०-अब्दुल रउफ,साकिन-फुलवारी शरीफ,थाना-फुलवारी शरीफ,जिला-पटना
परिवादी के वि० अधि०	मो० असलम नैयर
अभियुक्त	1. साकिब रजा उर्फ़ पन्नू,पे०-महबूब राजा,उम्र-60 वर्ष,साकिन- साकिन-फुलवारी शरीफ,थाना-फुलवारी शरीफ,जिला-पटना
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री कृष्णा प्रसाद

प्रारूप -ख

अपराध की तिथि	18.03.2007